18.18 hrs.

HALF-AN-HOUR DISCUSSION RE: PRIMARY EDUCATION IN CALCUTTA

Mr. Deputy-Speaker: Now, Shri Madhu Limaye may raise the half-an-hour discussion, regarding primary education in Calcutta.

श्री मधु लिमये (मुंगेर): उपाध्यक्ष महोदय यह जो आधे घंटे की बहस . . .

Shri A. P. Sharma (Buxar): What about the Home Minister's statement?

Mr. Deputy-Speaker: That will be after the half-an-hour discussion is over.

Shri A. P. Sharma: We are all waiting to hear the Home Minister's statement.

Shri Harish Chandra Mathur (Jalore): Are we going to have the half-an-hour discussion now, or will the other item be taken up?

Mr. Deputy-Speaker: We have to take up the holf-an-hour discussion now, and after that we shall resume the other debate.

Shri Shree Narayan Das (Darbhanga): The half-an-hour discussion may start after the conclusion of that debate.

श्री मधु लिमये : नहीं आर्डर पेपर पर दर्ज है कि यह बहस छः बजे ली जायेगी।

Mr. Deputy-Speaker: I am sorry. The half-an-hour discussion has to be taken up at a particular time. It has to be taken up at six o'clock as scheduled.

Shri Raghunath Singh (Varanasi): I propose that the half-an-hour discussion be adjourned....

श्री मधु लिमये: नहीं। यह बहस पहले ही चार दफा मुलतवी हो चुकी है।

Mr. Deputy-Speaker: No such motion can be made unless the hon. Member Shri Madhu Limaye yields.

Shri Raghunath Singh: I move a motion that the half-an-hour discussion to be raised by Shri Madhu Limaye should be taken up after the debate on the statement regarding the agitation for ban on cow-slaughter is over. This is my definite motion before the House.

Mr. Deputy-Speaker: It cannot be done. Unless Shri Madhu Limaye says that he would not raise the discussion, I cannot do it.

Shri Raghunath Singh: That is the wish of the House; it is not the wish of Shri Madhu Limaye. When there is a motion before the House, that motion should be accepted or it should be voted down.

Mr. Deputy-Speaker: The half-an-hour discussion has to be taken up at a particular time. There cannot be any motion for adjournment.

Shri Raghunath Singh: We say that this motion that the half-an-hour discussion should be adjourned till after the other item is disposed of should be put to vote first. You cannot say that there cannot be any motion. That is against the rule.

Mr. Deputy-Speaker: Order, order. Shri Raghunath Singh may resume his seat.

Shri Bhagwat Jha Azad (Bhagalpur): No, no; you have to put the motion before the House . . .

Mr. Deputy-Speaker: Order, order. I am not putting it to the House....

श्री मधु लिमये : उपाध्यक्ष महोदय, देखिये, कांग्रेस पार्टी कितना अनुशासन दिखा रही है। आप इन लोगों को निकाल दीजिए। उपाध्यक्ष महोदय, ... (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, जरा शांति स्थापित कीजिए, कांग्रेस के लोग देखिए किस प्रकार अनुशासन का पालन नहीं कर रहे हैं....

उपाध्यक्ष महोदय : आर्डर, आर्डर। (व्यवधान)

Shri Raghunath Singh: There is no option for you. (व्यवधान)

श्री मधु लिमये : अध्यक्ष महोदय,.... (व्यवधान)

Shri Raghunath Singh: There is a formal motion before the House.

Mr. Deputy-Speaker: I do not admit it. There cannot be any such formal motion.

Shri Bhagwat Jha Azad: How can you do that?

श्री बागड़ी (हिसार): अध्यक्ष महोदय, यह तीन आदमी आपकी इजाजत से खड़े हैं ?... (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आर्डर, आर्डर । मिस्टर रघुनाथ सिंह, आप बैठ जायें । (व्यवधान)

Shri Raghunath Singh: This is under rules.

श्री बागड़ी : आप इसको निकालिए । हम को निकाल देते हैं जरा सी बात के लिये ।

Mr. Deputy-Speaker: I ask hon. Members to resume their seats. I am not admitting that motion.

Shri Bhagwat Jha Azad: Why? We want to know the reason.

Mr. Deputy-Speaker: The half-an-hour discussion has to be taken up at the particular time. So I cannot admit this motion.

श्री मधु लिमये : अध्यक्ष महोदय, मैं जो आधे घंटे की बहस आज उठा रहा हूं वह कलकत्ता के अन्दर प्राथमिक शिक्षा की जो इस वक्त स्थिति है उसके बारे में उठा रहा हूं । अध्यक्ष महोदय, हमारे संविधान में यह लिखा हुआ है कि यह राज्य का कर्तव्य होगा कि सभी लोगों को पढ़ने का अधिकार दे । संविधान की 41 धारा में लिखा हुआ है :

"The State shall make effective provision for securing the right to education".

और 45 धारा में लिखा हुआ है :

"The State shall endeavour to provide, within a period of ten years from the commencement of this Constitution, for free and compulsory education for all children until they complete the age of fourteen years."

अध्यक्ष महोदय, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि कलकत्ता हिन्दुस्तान का सब से बड़ा शहर है और अंग्रेजों के जमाने में जब वहां पर इम्पीरियल लेजिस्लेटिव कौंसिल की बैठकें होती थीं तो 1910 में 18 तारीख को गोपाल कृष्ण गोखले ने पहली बार प्राथमिक शिक्षा के बारे में एक प्रस्ताव इम्पीरियल लेजिस्लेटिव कौंसिल के सामने रखा था । वह प्रस्ताव इस तरह था :

"That this Council recommends that a beginning should be made in the direction of making elementary education free and compulsory throughout the country"

उसके बाद 37 साल तक अंग्रेजों का राज्य रहा और गोखले के प्रस्ताव के बावजूद, उन के विधेयक के बावजूद, प्राथमिक शिक्षा के बारे में प्रगति बहुत मन्द रही ।

1947 में भारत आजाद हुआ । तीन साल के अन्दर संविधान बना । 26 जनवरी 1950 को वह संविधान लागू भी हुआ जिसमें कहा गया था कि दस साल के अन्दर समूचे देश में प्राथमिक शिक्षा मुफ्त और अनिवार्य बनायी जायगी । लेकिन क्या हुआ? आज 16 साल हो गये । अभी तक जो गोपाल कृष्ण गोखले सपना देख रहे थे 1910 में और जो संविधान के मातहत कहा गया था कि दस साल के अन्दर साकार होगा 16 साल के बाद भी साकार नहीं हुआ और आज भी प्राथमिक शिक्षा मुफ्त और अनिवार्य समूचे देश में नहीं हुई है । मैं आप को याद दिलाना चाहता हूं कि इंग्लिस्तान में 19वीं सदी में जब प्राथमिक शिक्षा मुफ्त

और अनिवार्य बनाने का कानून पास हो गया 1870 में तो 12 साल में उन्नीसवीं सदी में अंग्रेजों ने मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का यह कानून अमल में लाया था। लेकिन बीसवीं सदी के मध्य में हमने अपने संविधान के मातहत जो देश में दस साल के अन्दर प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य और मुफ्त करने का जो निर्णय किया था वह आज तक कार्यान्वित नहीं हो सका है। कलकत्ता जैसे शहर में आज प्राथमिक शिक्षा की जो दुर्गति है उसके मैं कुछ आकड़े आपके सामने रखना चाहता हूं। जे० पी० नाइक साहब की रपट में कहा गया है :

"The probable enrolment on 31st March, 1961 would be 1,85,000 only, which works out to 60 per cent of the total population of the children of the age group of 6 to 11. This is even below the average for India as a whole, and much below the average for urban areas and other municipal corporations."

जो हिन्दुस्तान का सब से बड़ा शहर है उस में 40 प्रतिशत बच्चों को प्राथमिक शिक्षा के लिये कोई भी व्यवस्था नहीं है और जो बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं उनमें केवल 28 प्रतिशत मुफ्त स्कूलों में, महानगर पालिका के और राज्य सरकार के द्वारा चलाये गये स्कूलों में पढ़ते हैं लेकिन बाकी 72 प्रतिशत लड़के फीस वाले निजी स्कूलों में पढ़ते हैं और गरीब लोगों को प्राथमिक शिक्षा के लिये संविधान की धारा के बावजूद आज 72 प्रतिशत गरीब बच्चों को फीस देकर पढ़ाना पड़ता है इससे ज्यादा शर्मनाक चीज कलकत्ता जैसे शहर के लिये, पश्चिमी बंगाल की सरकार के लिये और केन्द्रीय सरकार के लिये और क्या हो सकती है ? अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जे० पी० नाइक की रिपोर्ट में कहा गया था कि :

"The Calcutta Corporation has taken the stand that it has put in the maximum possible effort for primary education, and that it will not be able to open even one additional school during the third plan period."

एक भी स्कूल तीसरी योजना के कार्यकाल में हम नहीं खोल सके हैं इस तरह की घोषणा कलकत्ता कार्पोरेशन ने की थी। क्या स्थिति रही 1956 से लेकर 1966 तक, एक पत्रकार लिखता है :

"Even more significant is the record of the Calcutta Corporation in setting up schools. No more than two schools were set up over the last ten years."

दस साल में कलकत्ता नगरी में केवल दो प्रथमिक स्कूल खोले गये हैं। हम लोगों ने संविधान के मातहत यह वादा किया है कि दस साल के अन्दर समूचे देश में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा होगी लेकिन कलकत्ता जैसी बढ़ती हुई आबादी के शहर में दस साल में केवल दो स्कूल खोले गये हैं। 16 मार्च 1959 को विधान चन्द्र राय अध्यक्ष, गार्जियन्स एसोसिएशन को लिखते हैं :

"The phased programme for realising the policy of the Union Government of free and compulsory education is not before us in a concrete shape yet."

1959 तक कोई योजना भी नहीं बन पायी। कोई योजना साकार करने की बात तो छोड़ दीजिये, बनाने का काम भी नहीं हुआ। अब कलकत्ता शहर में प्राथमिक शिक्षा पर खर्चा कितना होता है, यह आप देखें :

"It will be seen that the total expenditure on primary education in the City of Calcutta is low, especially as compared with corpo-

[श्री मधु लिमये]

ration standards. It works out to less than Rs. 2.5 *per capita* of the population."

प्रति व्यक्ति के पीछे केवल ढाई रुपया खर्चा प्राथमिक शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण सवाल पर कलकत्ता नगरी में होता है। अब आप महापालिका की बात देखिये :

"The State spent only about Rs. 13.2 lakhs on primary education in the City. This is low by any standards. The Corporation also spends only Rs. 28.8 lakhs from its own funds. That is about 3.5 per cent of its total revenue. This is also very low by the standards of other corporations, or even by that of smaller municipalities."

और एक बात पर आप सोचें कि प्राथमिक शिक्षा के बारे में जिम्मेदारी किसकी है ? यह विवाद 19 साल से चल रहा है। राज्य सरकार कहती है कि यह स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं की, नगर पालिकाओं की जिम्मेदारी है, और नगरपालिकायें कहती हैं कि यह जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। लेकिन इस सदन की निगाह में यह जिम्मेदारी किस की है ? संविधान के सातवीं सूची में राज्यों के और केन्द्र के तथा दोनों के समान अधिकार बताये गये हैं। उसमें शिक्षा राज्य सरकार के तहत आती है, यानी उसके लिये राज्य सरकार की पूरी जिम्मेदारी है। लेकिन चूंकि योजना केन्द्र सरकार की है, इस लिए केन्द्र सरकार भी अपनी जबाबदेही से भाग नहीं सकती। आप लिस्ट 3 एन्ट्री 20 को देखिये, उसमें कहा है कि यह केन्द्र सरकार का काम है— "इकानामिक एंड सोशल प्लानिंग", सामाजिक और आर्थिक नियोजन - यह केन्द्र सरकार की जिम्मेदारी है। शिक्षा की अर्थ नीति से ताल्लुक है, शिक्षा का समाज नीति से ताल्लुक है, इसलिये शिक्षा की हर तरह से केन्द्र सरकार पर जिम्मेदारी आ जाती है।

अध्यक्ष महोदय, केन्द्र सरकार के द्वारा जब एजूकेशनल सर्वे, शैक्षाणिक सर्वेक्षण की योजना बनाई गई तो पश्चिमी बंगाल सरकार ने इसमें सहयोग देने से भी इन्कार किया। पश्चिमी बंगाल सरकार ने शहरी इलाके में और विशेषकर कलकत्ता नगरी में प्राथमिक शिक्षा के बारे में अपनी जिम्मेदारी को बिलकुल पूरा नहीं किया है और आज भी नहीं कर रही है। इस के कई कारण हैं—एक कारण तो यह है कि वहां की महापालिका के द्वारा और सरकार के द्वारा कोई योजना नहीं बनाई गई। दूसरे, अध्यक्ष महोदय, नियन्त्रण और शासन दोनों में दो धारायें चलती हैं—एक महापालिका की धारा और दूसरे राज्य सरकार की धारा, दोनों में बिल्कुल मेल नहीं है। तीसरे—निजी क्षेत्र पर ज्यादा जोर है, निजी स्कूल ज्यादा खुलते चले जा रहे हैं, 72 प्रतिशत लड़के उनमें पढ़ते हैं। हम समाजवाद की बात करते हैं, समाजवादी चरित्र कैसे बनेगा, अगर प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में भी अमीर लोगों के स्कूल और गरीब लोगों के स्कूल अलग अलग रहेंगे और कुछ लोगों के लिये, 40 प्रतिशत के लिये कोई स्कूल ही नहीं है। जब तक इस प्रकार की विषमता रहेगी कि 40 प्रतिशत के लिये कोई स्कूल ही न होगा, और केवल 28 प्रतिशत के लिये मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा रहेगी तथा 72 प्रतिशत के लिये फीस वाले स्कूल होंगे तो यह काम चल ही नहीं सकेगा।

अध्यक्ष महोदय, इसलिये मेरी मांग यह है कि कलकत्ते में प्राथमिक शिक्षा की स्थिति को यदि आप सुधारना चाहते हैं तो सब से पहले यह काम होना चाहिये कि अमीरों के विशेष स्कूल—मिसिज पार्कर का स्कूल, मिस जानसन का स्कूल, आदि, जिनमें अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई होती है,

जो बंगला माध्यम स्कूल नहीं है, जो उड़िया के लिये स्कूल नहीं है, जो हिन्दी के लिये स्कूल नहीं है, बन्द कर के प्राथमिक शिक्षा न केवल मुफ्त और अनिवार्य बल्कि सभी लोगों के लिये एक जैसी और समान करनी चाहिये । अमीरों के बच्चे, करोड़पतियों के बच्चे, मंत्रियों के बच्चे, नौकरशाहों के बच्चे, सभी लोगों के बच्चे एक ही किस्म की प्राथमिक शिक्षा जब तक नहीं पाते है, तब तक समाजवाद की घोषणा एक विशुद्ध ढोंग है । मैं आशा करता हूं कि श्रीमती इन्दिरा गांधी की सरकार कलकत्ते के बच्चों पर जो अत्याचार हो रहा है, उस को खत्म कर के यह काला धब्बा, यह दाग धोने का प्रयत्न करेगी । बस इतना ही आपकी मारफत कहना चाहता था ।

Shri Dinen Bhattacharya (Serampore): Mr. Deputy-Speaker, Sir, Mr. Limaye has vividly described the appalling picture of primary education in Calcutta city, not only Calcutta city.....

Mr. Deputy-Speaker: No speech, please put your question

Shri Dinen Bhattacharya: I must give some background.

Mr. Deputy-Speaker: No background.

Shri Dinen Bhattacharya: The point raised by Shri Madhu Limaye is that there is a quarrel between the Calcutta Corporation and the State Government as to who is to bear the expenditure for primary education.. (*Interruption*) . . . To whom shall I put the question, because the Minister is talking there? My question is very simple. The quarrel between the State Government and the Calcutta Corporation, and the effect...

Mr. Deputy-Speaker: He has already put the question.

Shri Dinen Bhattacharya: Why are you so impatient?

Shri Raghunath Singh: Because there is the other motion.

Shri Dinen Bhattacharya: This subject is also very important.

Mr. Deputy-Speaker: There is the time-limit. You must finish your question.

Shri Dinen Bhattacharya: My question is whether the Government at the Centre is in the knowledge of this situation and whether it has any plan to see that the directive of the Constitution regarding free and compulsory primary education for all the children up to the age of 14 is taken up seriously by the State Government so that the situation in Calcutta and other towns of West Bengal and in other States may change for the better in the near future.

Shri S. M. Banerjee (Kanpur): I want to know whether the hon Minister is aware that all the big business-houses in Calcutta have started convent schools and schools of Montessori type and so on and, if so, whether he is aware that these schools, are being opened and inaugurated by the Chief Minister and Ministers under their patronage and, if so, whether any instructions have been issued by the Centre to the State Governments to discontinue such schools.

श्री बागड़ी : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि कलकत्ता में बिरला और अतुल्य बाबू जी के जो बच्चे है, वे जिन विशेष स्कूलों में पढ़ते है.....

Shri Raghunath Singh: Can we bring in personalities, who are not here, into the discussion?

Mr. Deputy-Speaker: Don't bring personalities.

श्री बागड़ी : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जो यह अन्तर बड़े लोगों के बच्चों और छोटे लोगों के बच्चों के लिये है यह कब मिटेगा? क्या यह भी बताने की कृपा

[श्री बागड़ी]

करेंगे कि खुद मंत्रियों के बच्चे 100 में से 70 फेल होने के बाद विदेशों में तालीम हासिल करने के लिये जाते हैं, ऐसे कितने मंत्री हैं जिनके बच्चे विदेशों में हैं? जैसे प्रधान मंत्री के दोनों बच्चे फेल हो गये तो दोनों अब विदेशों में पढ़ते हैं, कितने मंत्री ऐसे हैं, जिनके बच्चे विलायत में हैं?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, इस बहस को उठाते समय माननीय सदस्य श्री मधु लिमये ने हिन्दी में अपना विवाद प्रारम्भ किया *, अतः मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं भी हिन्दी में ही अपने विचार व्यक्त करूं ।

मैं माननीय सदस्य को इस बात के लिये धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस महत्वपूर्ण समस्या की ओर इस सदन का और शासन का ध्यान आकर्षित किया है । जहां तक कि संविधान की व्यवस्थाओं का सम्बन्ध है, इस में कोई सन्देह नहीं कि इच्छा रहते हुए भी हम लोग उसकी पूर्ति नहीं कर पाये हैं, परंतु हमारा प्रयत्न इस ओर जारी है और इस दिशा में तेजी के साथ कदम बढ़ाये जा रहे हैं । जहां तक 6 वर्ष से 11 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा का सम्बन्ध है सन् 51 में 43 प्रतिशत बच्चे स्कूलों में जाते थे, सन् 1956 में 53 प्रतिशत हो गये, सन् 1961 में 62 प्रतिशत हो गये और अब 1966 का अनुमान है कि 80 प्रतिशत इस प्रकार के बच्चे विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं । इस प्रकार प्रगति हो रही है, लेकिन मैं सदन को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में और भी जोरों से प्रयत्न किया जायेगा और चौथी पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत इस सम्बन्ध में और भी महत्वपूर्ण कदम उठाये जायेंगे ।

श्रीमती सहोदराबाई राय (दमोह): क्या इस में लड़के और लड़कियां दोनों शामिल हैं ?

श्री भक्त दर्शन : हम लड़कियों को अलग कैसे कर सकते हैं ?

जहां तक कलकत्ता कारपोरेशन का प्रश्न है, मैं यह स्वीकार करना चाहता हूं कि वहां की स्थिति बहुत असन्तोषजनक है । यह बतलाया गया कि वहां पर छात्रों के साथ 'अत्याचार' होता है । इस को तो मैं स्वीकार नहीं कर सकता; लेकिन उनके लिये निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था नहीं की गई है इस को मैं स्वीकार करता हूं । जहां तक भारत सरकार का सम्बन्ध है, इसबारे में हम लोग प्रयत्नशील रहे है । स्वयम् श्री मधु लिमये ने श्री नायक का उल्लेख किया, जो हमारे मंत्रालय के परामर्शदाता थे । उन्होंने सन् 1960 में जा कर विस्तार से बातें कीं और अपना प्रतिवेदन मंत्रालय को दिया । उस के आधार पर राज्य सरकार से पत्र परामर्श किया गया, और तब से स्थिति में कुछ थोड़ा बहुत परिवर्तन हुआ है ।

कलकत्ते में इस समय 6 वर्ष से लेकर 11 वर्ष के 3 लाख 40 हजार बच्चे हैं जिन में से 2 लाख 11 हजार अर्थात् 62 प्रतिशत छात्र पाठशालाओं में जा रहे हैं और आशा है कि यह संख्या बढ़ती जायेगी । शिक्षा मंत्रालय द्वारा पश्चिमी बंगाल की राज्य सरकार और कारपोरेशन के साथ लम्बा पत्र व्यवहार किया गया है । उन पर हम लोग जोर डालने का प्रयत्न करते रहे हैं । जहां तक इस सम्बन्ध में कानून बनाने का प्रश्न है, दो कानून बंगाल सरकार ने पहले ही इस बारे में बना दिये है, और उसके बारे में एक और कानून बनाने पर विचार किया जा रहा है । आशा है कि वह जल्दी ही लागू कर दिया जायेगा । इस बीच केन्द्रीय सरकार की ओर से राज्य सरकार पर जो बार बार जोर डाला जाता रहा और अनुरोध किया जाता रहा, उस का अब यह परिणाम हुआ है कि सारे कलकत्ता कारपोरेशन के क्षेत्र के महानगर क्षेत्र का एक

शैक्षिणिक सर्वेक्षण, एजुकेशनल सर्वे किया जा रहा है । इस के सिवा कलकत्ता कारपोरेशन से हम ने अनुरोध किया है कि एक ऐसा कार्यक्रम बना कर के पश्चिम बंगाल सरकार के सामने और केन्द्रीय सरकार के सामने रखें जिस को उन्होंने स्वीकार कर लिया है । इस के अतिरिक्त कलकत्ता कारपोरेशन से यह भी अनुरोध किया गया है, और उन्होंने स्वीकार किया है कि किस प्रकार से वहां अनिवार्य प्राथमिक निःशुल्क शिक्षा जारी की जा सकती है वह इस पर भी विचार करें, और अगर एजुकेशनल सेस भी लगाना पड़े तो इस के ऊपर भी विचार किया जाये ।

इस सम्बन्ध में चौथी पंचवर्षीय योजना के बारे में मैं कुछ आंकड़े आप के सामने रखना चाहता हूं । पश्चिम बंगाल सरकार ने जो कार्यक्रम तैयार किया है और उस में जो व्यवस्था की है उस के मुताबिक अगले पांच वर्षों में कलकत्ता महानगर क्षेत्र में 2 करोड़ रु० प्राथमिक शिक्षा फैलाने पर खर्च किये जायेंगे और 1 करोड़ रु० कुछ अन्य नागरिक क्षेत्रों में खर्च किये जायेंगे ?

श्री डी० चं० शर्मा : क्या योजना कमीशन से उस की मंजूरी हो चुकी है ।

श्री भक्त दर्शन: जब आप मंजूर करेंगे, भगवन्, तभी वह लागू होगा ।

राज्य सरकार ने जो अंतिम पत्र इस सम्बन्ध में भेजा है उस के अनुसार उन्होंने यह आश्वासन दिया है कि वे पहले से अधिक तेजी से इस के ऊपर ध्यान दे रहे हैं । उन्होंने एक तो आर्थिक कठिनाई बतलाई है; दूसरी कठिनाई उन्होंने यह बतलाई है कि कलकत्ते सरीखे महानगर में मकान मिलने बड़े कठिन हैं । लेकिन फिर भी आशा की जाती है कि चौथी पंच वर्षीय योजना के दौरान में वहां जो इस समय असन्तोषजनक स्थिति है उस में काफी सुधार होगा और प्रायः सब लड़के पढ़ सकेंगे ।

श्रीमन्, मैं सदन का और अधिक समय नहीं लेना चाहता । मैं माननीय सदस्य को और इस सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि कलकत्ता नगर हमारे देश का सब से बड़ा नगर है; अगर वहां पर शिक्षा की पूरी प्रगति नहीं होती है तो यह हमारे लिए अशोभनीय है, शोभा की बात नहीं है, बल्कि लज्जा की बात है, इस लिये केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार और कलकत्ता कारपोरेशन मिल कर इस को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करेंगे; यह आश्वासन मैं देना चाहता हूं ।

श्री मधु लिमये : एक बात का जवाब नहीं आया कि क्या 72 फीसदी लड़कों को फीस देनी पड़ रही है ।

श्री भक्त दर्शन : जी हां, यह मैं स्वीकार करता हूं ।

18.45 hrs.

MOTIONS *RE.* INCIDENTS IN NEW DELHI ON 7TH NOVEMBER, 1966 AND BANNING OF COW SLAUGHTER—*contd.*

Mr. Deputy-Speaker: We shall resume the discussion on cow-slaughter now. Shri Krishnapal Singh.

Shri Krishnapal Singh (Jalesar): Sir, it is really unfortunate that it should be necessary for a private member....

An hon. Member: What is the time left?

Mr. Deputy-Speaker: 50 minutes are left. How long does the House want to sit? I think if we hear the statement of the minister, it may cut short the discussion. As soon as he comes here, I will call upon him to make the statement.

श्री हुकम चन्द कछवाय (देवास) : उपाध्यक्ष महोदय, हम लोग बैठने के लिये तैयार हैं, लेकिन इस पर पूरी तरह चर्चा होनी चाहिये । दो घंटे का समय बढ़ाया जाये ।